



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161759

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8675 वर्ष 2026

श्रीमती पारुल वर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : ईश्वर चंद्र त्यागी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य दिनांक 28.01.2026 को समझौता हो गया था और उक्त समझौता वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। इससे पूर्व, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अवर न्यायालय को सत्यापन आख्या प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया था।

3. आख्या के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जहां उनके-अपने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उनकी पहचान की गई और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2026 को समझौते का सत्यापन किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहती है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. ने उपर्युक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 एस सी सी 688** के मामले में समझौते/निपटारे के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित अन्य निर्णयों पर विचार करने के पश्चात, यह अभिनिर्धारित एवं प्रतिपादित किया जाता है कि:

i) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत धारा 320 के तहत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जा सकता है, जिनमें अपराध का चरित्र अत्यधिक एवं मुख्य रूप से सिविल प्रकृति का हो, विशेष रूप से वे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



मामले जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें मानसिक विकृति से संबंधित जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध सम्मिलित हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और पीड़ित तथा अपराधी के मध्य समझौते के मात्र आधार पर ऐसे अपराधों की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) धारा 307 आई.पी.सी. तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध अपराध न मानकर समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः धारा 307 आई.पी.सी. और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराध, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर कि पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं किए जा सकते। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस कारण अपने निर्णय को इस तथ्य पर आधारित नहीं करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 आई.पी.सी. का उल्लेख है अथवा आरोप इस प्रावधान के अंतर्गत विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांचना खुला होगा कि क्या धारा 307 आई.पी.सी. का समावेश केवल औपचारिकता के लिए किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया है, जो सिद्ध होने पर धारा 307

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेगा। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय लगी हुई चोट की प्रकृति, यह कि चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा परीक्षण केवल जांच पूर्ण होने तथा आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान साक्ष्य एकत्र किए जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। जब मामला अभी जांच के स्तर पर हो, तब ऐसा परीक्षण अनुमन्य नहीं है। अतः इस न्यायालय के नरेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को उपर्युक्त परिस्थितियों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए;

v) गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में, जो निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न पड़ता हो, पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौते/निपटारे के आधार पर संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को अभियुक्त की पूर्ववृत्तियों पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने की व्यवस्था किस प्रकार की, आदि तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।



8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और वाद संख्या 6399 सन् 2023 (राज्य बनाम श्रीमती पारुल वर्मा), जो मुकदमा अपराध संख्या 282 सन् 2022 से उद्भूत है, धारा 380 आई.पी.सी., थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा, की संपूर्ण कार्यवाही, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के न्यायालय में लंबित है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

3 अगस्त, 2026

अकबर